संख्या-6/2019/1965/46-1-2018-1000(1)/2017

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र.
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 08 मार्च, 2019

विषयः- वेतन समिति, उ.प्र. (2016) के प्रथम प्रतिवेतन के भाग-6 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ के विभिन्न श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं के संबंध में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेतन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा कतिपय संशोधन के साथ संकल्प संख्या-64/2016-वे.आ.-2-2645/दस-04(एम)/2016 दिनाँक 16 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है।

2- उक्त शासकीय संकल्प दिनाँक 16 दिसम्बर, 2016 के द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ के, इस शासनादेश के संलग्न के स्तम्भ-2 में उल्लिखित, विभिन्न पदों के सम्मुख स्तम्भ-4 एवं 5 में इंगित वर्तमान वेतनमानों/सादृश्य ग्रेड वेतन की लागू व्यवस्था के स्थान पर दिनाँक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के स्तम्भ-6 एवं 7 के अनुसार सादृश्य वेतन मैट्रिक्स अथवा गन्ना संस्थान के कार्मिकों द्वारा दिये गये विकल्प की तिथि से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ के विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत, इस शासनादेश से आच्छादित संस्थान के कार्मिकों को वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मँहगाई भत्ता के एरियर का भुगतान दिनाँक 01 जनवरी, 2016 से सात समान किश्तों में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किश्त से अधिक नहीं) में दिया जायेगा।

(1) उक्त किश्तों के रूप में दी जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कार्मिक के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा और 50 प्रतिशत भाग में से देय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

आयकर की धनराशि को काटकर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनके देय आयकर की धनराशि 50 प्रतिशत से अधिक होती है, के मामलो में 50 प्रतिशत नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि को आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु बढ़ा दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जायेगी। उक्तानुसार भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा धनराशि, जमा होने की तिथि से 01 वर्ष तक सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा रहेगी और उसे उन मामलो को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final withdrawal) देय हो, 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

(2) ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एन.एस.सी. के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) में जमा करा दिया जायेगा।

4- उक्त कार्मिकों (राज्य सरकार अथवा अन्य किसी अधिष्ठान के कर्मचारी, जो, संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, को छोड़कर) का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनाँक 01 जनवरी, 2016 को राजकीय कर्मियों के लिये वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

5- राज्य सरकार अथवा अन्य किसी अधिष्ठान के कर्मचारी जो संस्था में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, उन्हें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ अपने मूल विभाग/अधिष्ठान के पद उके सन्दर्भ में लागू निर्णय के अनुसार अनुमन्य होगा।

6- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वार्षिक वेतनवृद्धि की दर राजकीय कार्मिकों की भाँति देय होगी।

7- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उक्त कार्मिकों को मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता तथा प्रसूति अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश राज्य कर्मचारियों के लिये शासन द्वारा निर्गत शासनादेशें में वर्णित दरों/व्यवस्था के अनुसार दिनाँक 01.01.2016 से प्रभावी की जायेगी।

8- उक्त संस्था के ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नति/उच्च वेतनमान दिनाँक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व अनुमन्य हो चुका है, उन्हें उक्त वैयक्तिक वेतनमान के सादृष्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ अनुमन्य होगा, परन्तु ऐसे पदधारक जिन्हें उक्त लाभ दिनाँक 01 जनवरी 2016 के अथवा उसके पश्चात पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने की तिथि के बाद वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हुआ है, उन्हे उक्त लाभ पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य नहीं होगा। इसी प्रकार यदि सेवा अवधि के आधार पर पूर्व के वेतनमान में कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के बाद की तिथि से अनुमन्य हुई हो तो उसके आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।

9- लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ के कार्मिकों हेतु पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में समयमान वेतनमान/ए.सी.पी. की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रभावी होगी।

10- लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ के कार्मिकों को यदि राजकीय कर्मियों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका औचित्य बताते हुए उसे जारी रखने के सम्बन्ध में शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-192/दस-2019, दिनाँक 08.03.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2019/1965(1)/46-1-2018-1000(1)/2017 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/लेखा परीक्षा प्रथम, उ.प्र. इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-6/वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2, उ.प्र. शासन।
4- गन्ना आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-6/2019/1965(2)/46-1-2018-1000(1)/2017 दिनाँकः 08 मार्च, 2019

क्र.सं.	पदनाम	वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम	पद का वर्तमान वेतनमान (रू.)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रू.)	लेबल	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स
1	2	3	4	5	6	7
1	निदेशक	अपने संवर्ग के अनुसार				
2	उप निदेशक	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	5400	लेवल-10	56100-177500
3	सहायक निदेशक	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	5400	लेवल-10	56100-177500
4	लेखाधिकारी	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	5400	लेवल-10	56100-177500
5	प्रबन्धक श्रोतृशाला	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	5400	लेवल-10	56100-177500
6	सहायक लेखाधिकारी	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4600	लेवल-7	44900-142400
7	विषय विशेषज्ञ	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4600	लेवल-7	44900-142400
8	प्रकाशन अधिकारी	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4600	लेवल-7	44900-142400
9	निजी सचिव (अध्यक्ष)	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4600	लेवल-7	44900-142400
10	निजी सचिव (निदेशक)	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4600	लेवल-7	44900-142400
11	सहायक स्थापन अधिकारी	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200	लेवल-6	35400-112400
12	सहायक क्रय अधिकारी कम केयर टेकर	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200	लेवल-6	35400-112400
13	प्रशिक्षण संगठक	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200	लेवल-6	35400-112400
14	पुस्तकालयाध्यक्ष(मु0)	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200	लेवल-6	35400-112400
15	लेखाकार	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200	लेवल-6	35400-112400
16	प्रशिक्षक	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200	लेवल-6	35400-112400
17	आशुलिपिक(निदेशक)	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800	लेवल-5	29200-92300
18	सम्परीक्षा सहायक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800	लेवल-5	29200-92300
19	यंत्र पर्यवेक्षक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800	लेवल-5	29200-92300
20	ज्येष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800	लेवल-5	29200-92300
21	ज्येष्ठ सहायक कम लेखाकार	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800	लेवल-5	29200-92300
22	पुस्तकालयाध्यक्ष (केन्द्र)	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800	लेवल-5	29200-92300
23	लेखालिपिक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800	लेवल-5	29200-92300
24	कैशियर कम लेखालिपिक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800	लेवल-5	29200-92300
25	आशुलिपिक (केन्द्र)	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2400	लेवल-4	25500-81100
26	सिनेमा आपरेटर	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2400	लेवल-4	25500-81100
27	विद्युत/ध्वनि नियंत्रक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2400	लेवल-4	25500-81100
28	कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2400	लेवल-4	25500-81100
29	कनिष्ठ सहायक/टंकक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1900	लेवल-2	19900-63200
30	इलेक्ट्रीशियन कम ट्यूबवेल आपरेटर	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1900	लेवल-2	19900-63200
31	चालक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1900	लेवल-2	19900-63200

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

क्र. सं.	पदनाम	वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम	पद का वर्तमान वेतनमान (रू.)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रू.)	लेबल	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स
1	2	3	4	5	6	7
32	दफतरी फोटो आपरेटर	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900
33	चपरासी कार्यालय	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900
34	अर्दली/चपरासी	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900
35	छात्रावास अटेण्डेन्ट	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900
36	चौकीदार	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900
37	माली	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900
38	रसोइया	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900
39	कहार	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900
40	पुस्तकालय कम स्टोर अटेण्डेन्ट	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900
41	रसोइया सहायक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900
42	श्रोतृशाला सहायक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900
43	स्वीपर	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800	लेवल-1	18000-56900

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है